

पत्रांक:-7/विधि-21/2017

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

उपेन्द्र नारायण महतो,
उप सचिव।

वित्त विभाग द्वारा
'अनौपचारिक रूप से
परामर्शित')

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक/

विषय :-

राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत 66,104 पद (क्रमशः नगर प्राथमिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखण्ड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक) के लिए वित्तीय वर्ष-2017-2018 के वेतन भुगतान के लिए क्रमशः नगर निकायों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को सहायक अनुदान मद में कुल बजट उपबंध राशि ₹ 13,77,00,00,000/- (रूपये तेरह अरब सतहत्तर करोड़ मात्र) की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

संविधान की धारा 21 (क) के अन्तर्गत 6-14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। इसलिए 6-14 आयुवर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेवारी है। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक- छात्र अनुपात 1:40 करने तथा राज्य के सभी बच्चों को विद्यालय के अन्दर लाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 3.23 लाख पंचायत/प्रखंड/नगर शिक्षकों का नियोजन किया गया है। इस प्रकार कुल 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन के भुगतान हेतु विभिन्न नियोजन ईकाईयों को राज्य सरकार एवं सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुदान की राशि दी जाती है।

2. कुल 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों में से 66,104 नगर, प्रखण्ड एवं पंचायत शिक्षकों का वेतन भुगतान राज्य सरकार की निधि से तथा शेष का वेतन भुगतान सर्वशिक्षा अभियान के मद से किया जायेगा। राशि का प्रावधान वर्ष-2017-2018 के बजट (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) में किया गया है।

3. वर्ष 2017-2018 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु विभिन्न शीर्षों में निम्नवत प्रावधानित राशि में से राशि की निकाली जाएगी:-

(i) नगर निगम के नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु कुल स्वीकृत राशि ₹ 30,00,00,000/- (रूपये तीस करोड़ मात्र) का विकलन-मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा लघु शीर्ष-191 नगर निगम को सहायता, माँग संख्या-21, उप शीर्ष-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21- 2202011910001, विस्तृत शीर्ष-31--सहायता अनुदान विषय शीर्ष-04 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा।

(अनु०-क)

(ii) नगर परिषद् के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत राशि— ₹35,00,00,000/- (रूपये पैंतीस करोड़ मात्र) का विकलन मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष- 01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष- 192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता माँग संख्या-21, उप शीर्ष-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011920001, विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान विषय शीर्ष-04 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा। (अनु0-ख)

(iii) नगर पंचायतों के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत ₹46,00,00,000/- (रूपये छियालीस करोड़ मात्र) का विकलन मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, माँग संख्या-21, उप शीर्ष-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011930001, विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान विषय शीर्ष-04 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा। (अनु0-ग)

(iv) प्रखण्डों के अन्तर्गत नियोजित प्रखण्ड शिक्षकों एवं शारीरिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत— ₹12,53,00,00,000/- (रूपये बारह अरब तिरपन करोड़ मात्र) का विकलन मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष- 197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता, माँग संख्या- 21, उप शीर्ष-0002 प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011970002, विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान विषय शीर्ष-04 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा। (अनु0-घ)

(v) पंचायतों के अन्तर्गत नियोजित पंचायत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत ₹13,00,00,000/- (रूपये तेरह करोड़ मात्र) का विकलन मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष- 198 ग्राम पंचायतों को सहायता, माँग संख्या- 21, उप शीर्ष-0002 पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011980002, विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान विषय शीर्ष-04 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा। (अनु0-च)

4. अतः राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत 66,104 पद (क्रमशः नगर प्राथमिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखण्ड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक) के लिए वित्तीय वर्ष-2017-2018 के वेतन भुगतान के लिए क्रमशः नगर निकायों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को सहायक अनुदान मद में कुल बजट उपबंध राशि ₹ 13,77,00,00,000/- (रूपये तेरह अरब सतहत्तर करोड़ मात्र) की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है। जिलावार स्वीकृत राशि का विवरण अनुलग्नक "क", "ख", "ग", "घ" एवं "च" के रूप में संलग्न है।

5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के द्वारा जिला के कोषागार से वित्त विभाग के पत्रांक-8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका 2 (घ) के अनुसार नियोजन इकाईयों से "पूर्व प्राप्ति रशीद" प्राप्त कर टी० सी० विपत्र पर की निकासी की जायेगी। जिले के लिए चयनित नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित नियोजन इकाई को राशि उपलब्ध करा दी जायेगी। नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नोडल बैंक के माध्यम से विभागीय निदेश के आलोक किया जायेगा।

6. राशि की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक-13/06/17 की बैठक में प्राप्त है जो संचिका संख्या-7/विविध-21/2017 के पृष्ठ टि० 19/प० पर अंकित है।
7. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 वि० (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में उक्त राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।
8. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार, बिहार को भेजा जायेगा एवं उसकी प्रति विभाग को भी मदवार व्यय विवरणी के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
9. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2199 दिनांक-24.03.2017 में निहित निर्देश के आलोक में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
10. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।


विश्वासभाजन,

ह०।-

(उपेन्द्र नारायण महतो)
उप सचिव।

ज्ञापांक :-7/विविध-21/2017.....03...../ पटना, दिनांक:-15/6/17/

प्रतिलिपि :-सचिव, संसाधन, वित्त विभाग/राज्य परियोजन निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, शिक्षा भवन, सैदपुर, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना/लेखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/बजट-सह-आय-व्यय पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


15/6/17
उप सचिव।

(12)

अनु०-क

जिलावार नगर निगम में नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु शीर्षवार स्वीकृत राशि जिसका भुगतान राज्य निधि से किया जाना है।

क्र० संख्या	जिला का नाम	शिक्षको की संख्या	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	भागलपुर	126	27352100	
2	दरभंगा	210	45586000	
3	गया	211	45803000	
4	मुंगेर	60	13024000	
5	मुजफ्फरपुर	75	16281000	
6	नालन्दा	35	7597900	
7	पटना	600	130246000	
8	पूर्णियाँ	65	14110000	
	कुल	1382	300000000	

कुल राशि 30,00,00,000/- (तीस करोड़ रूपया) मात्र

(उपेन्द्र नारायण महतो)

उप सचिव

15-6-17

अनु०-ख

जिलावार नगर परिषद् में नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु शीर्षवार स्वीकृत राशि जिसका भुगतान राज्य निधि से किया जाना है।

मुख्य शीर्ष-2202, सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-192, नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता माँग संख्या-21 उप शीर्ष-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011920001 विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान विषय शीर्ष-04 सहायक अनुदान-वेतन				
क्र० संख्या	जिला का नाम	शिक्षको की संख्या	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	औरंगाबाद	40	7205000	
2	भागलपुर	40	7205000	
3	पूर्वी चम्पारण	100	18013000	
4	गोपालगंज	60	10807500	
5	जहानाबाद	100	18013000	
6	कैमूर	30	5405000	
7	खगड़िया	40	7205000	
8	किशनगंज	250	45032500	
9	मधुबनी	180	32424000	
10	मुंगेर	28	5048500	
11	पटना	180	32424000	
12	समस्तीपुर	100	18013000	
13	सारण	310	55840500	
14	सीवान	90	16212000	
15	सीतामढ़ी	40	7205000	
16	वैशाली	175	31524000	
17	प० चम्पारण	160	28820000	
18	नालन्दा	20	3603000	
	कुल	1943	350000000	

कुल राशि 35,00,00,000 / - (पैंतीस करोड़ रुपये) मात्र।

(उपेन्द्र नारायण महतो)
उप सचिव

अनु०-ग
जिलावार नगर पंचायत में नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु शीर्षवार स्वीकृत राशि जिसका भुगतान राज्य निधि से किया जाना है।

मुख्य शीर्ष-2202, समान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-193, नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या समतुल्य को सहायता की सहायता माँग संख्या-21 उप शीर्ष-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011930001 विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान विषय शीर्ष-04 सहायक अनुदान-वेतन

क्र० संख्या	जिला का नाम	शिक्षको की संख्या	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	औरंगाबाद	120	24021000	
2	भागलपुर	80	16014000	
3	पूर्वी चम्पारण	370	74063400	
4	गोपालगंज	175	35029500	
5	जमुई	90	18016000	
6	जहानाबाद	50	10009000	
7	किशनगंज	170	34029500	
8	मुंगेर	3	600600	
9	मुजफ्फरपुर	49	9808500	
10	नालन्दा	19	3803500	
11	पटना	166	33229000	
12	रोहतास	16	3203000	
13	समस्तीपुर	127	25422000	
14	सारण	420	84072000	
15	सीवान	78	15614000	
16	सुपौल	65	13012000	
17	सीतामढ़ी	125	25022000	
18	वैशाली	120	24021000	
19	पं० चम्पारण	55	11010000	
	कुल	2298	460000000	

कुल राशि 46,00,00,000 / -- (छियालीस करोड़ रुपये) मात्र

(उपेन्द्र नारायण महतो)
उप सचिव

15-6-17

अनु०-‘घ’
जिलावार प्रखण्ड में नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु शीर्षवार स्वीकृत राशि जिसका भुगतान राज्य निधि से किया जाना है।

मुख्य शीर्ष-2202, सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-197, ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता माँग संख्या-21, उप शीर्ष-0002 प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011970002 विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान विषय शीर्ष-04 सहायक अनुदान-वेतन

क्र० संख्या	जिला का नाम	शिक्षको की संख्या	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	अररिया	410	97956400	
2	अरवल	705	168402400	
3	औरंगाबाद	754	180103600	
4	बाँका	550	131388400	
5	बेगूसराय	1130	269892300	
6	भागलपुर	650	155268400	
7	भोजपुर	1560	372576200	
8	बक्सर	550	131388400	
9	दरभंगा	3360	802416200	
10	पूर्वी चम्पारण	2040	487200200	
11	गया	916	218789100	
12	गोपालगंज	1110	265116300	
13	जमुई	870	207804400	
14	जहानाबाद	1040	248400300	
15	कैमूर	890	212580400	
16	काँटेहार	2038	486722600	
17	खगड़िया	3060	730776200	
18	किशनगंज	620	148104400	
19	लखीसराय	377	90076000	
20	मधेपुरा	960	229296300	
21	मधुबनी	1818	434186600	
22	मुंगेर	425	101538400	
23	मुजफ्फरपुर	4721	1127423000	
24	नालन्दा	1819	434425400	
25	नवादा	450	107508400	
26	पटना	2541	606839000	
27	पूर्णियाँ	700	167208400	
28	रोहतास	500	119448400	
29	सहरसा	1708	407918600	
30	समस्तीपुर	1800	429888200	
31	सारण	2460	587496200	
32	शेखपुरा	400	95568400	
33	शिवहर	640	152880400	
34	सीतामढ़ी	1735	414366200	
35	सीवान	2100	501528200	
36	सुपौल	1330	317652400	
37	वैशाली	1055	251982300	
38	प० चम्पारण	2671	637883000	
	कुल	52463	12530000000	

कुल राशि 12,53,00,00,000 (बारह अरब तीरपन करोड रूपये) मात्र।

(उपेन्द्र मारायण महतो)
उप सचिव

15617


अनु०-‘च’

जिलावार पंचायत में नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु शीर्षवार स्वीकृत राशि जिसका भुगतान राज्य निधि से किया जाना है।

मुख्य शीर्ष-2202, सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-198, ग्राम पंचायतों को सहायता माँग संख्या-21, उप शीर्ष-0002 पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु विपत्र कोड-21-2202011980002 विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान विषय शीर्ष-04 सहायक अनुदान-वेतन

क्र० संख्या	जिला का नाम	शिक्षको की संख्या	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	किशनगंज		13,00,00,000	
	कुल राशि	0	130000000	

कुल राशि-13,00,00,000 (तेरह करोड़ रुपये) मात्र


15-6-17
(उपेन्द्र नारायण महतो)

उप सचिव

